कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम–1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा उर्दू के पद पर वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में श्री राजेन्द्र बैरवा व.अ. राउमावि. बागरा जालोर, का चयन बन्द लिफाफा (सील्ड कवर) रखा गया। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली के आदेश दिनांक 31.10.2022 के द्वारा श्री बैरवा की सीसीए–16 के अन्तर्गत जांच समाप्त किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–ओए/डीपीसी/उर्दू(शिडयूल–1) 2020–21 दिनांक 07.02.2023 के द्वारा बन्द लिफाफा खोलकर वर्ष 2020–21 की डीपीसी में चयन तिथि 01.04.2020 की तिथि को प्राध्यापक उर्दू के पद पर चयनित किये जाने पर परामर्श शिविर में **श्री राजेन्द्र बैरवा, व.अ. राउमावि. बागरा जालोर, वरिष्ठता क्रमांक 1880/2014–15, वर्ग अजा., जन्म तिथि 10.07.1989 द्वारा चयनित रिक्ति पर पदोन्नति पर प्राध्यापक उर्दू के पद पर राउमावि. सिसवाली (216887) बारां** में वेतन लेवल 12 में पदस्थापित किया जाता है।

कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)कार्मिक/क–2/95/पार्ट दिनांक 16.03.2023 के अनुसार यदि किसी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात संतानोत्पति के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक हो तो ऐसे कार्मिक तीन पश्चातवर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से देय होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक लाभ अनुज्ञेय होंगे तथापि ऐसी काल्पनिक वेतन वृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत नहीं किया जायेगा। संबंधित संस्था प्रधान इन्हें पदोन्नति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व उत्पन्न संतानों के सम्बन्ध में शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेवें। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल so.csection@gmail.com से तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थनापत्र दिनांकः 06.07.2023 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नति कार्मिक को दिनांक 07.07.2023 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति मे) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगें। पदोन्नति कार्मिक को दिनांक 28/07/23 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवें कि जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदौन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो। अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

Rajasthan Education Department

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–5/ उर्दू डीपीसी (सील्ड कवर)20–21/2023 दिनांक– 18/07/2023

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित –

01 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एंव माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर
02 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर
03 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एंव भाषा एंव पुस्तकालय विभाग एंव पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
04 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
05 संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
06 संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक को भेजकर लेख है कि आवश्यक कार्यवाही शाला दर्पण से संबंधित प्रविष्टियां अपडेट किये जाने हेतु।
07 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
08 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्यवाही के संबध में ।
09 अनुभाग अधिकारी शालादर्पण कार्यालय हाजा आवश्य कार्यवाही हेतु शाला दर्पण से संबंधित प्रविष्टिया अपडेट किये जाने हेतु
10 रक्षित पत्रावली

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.18 0?:03:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4140342